सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
पीठासीन अधिकारी – श्री जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 04/2015 (पुराना–117/2013)

1. श्रीमती नैनी पत्नी स्व. श्री मोहनलालजी माली आयु 88 वर्ष
2. श्री सोहनलाल पुत्र स्व. श्री मोहनलालजी माली आयु 78 वर्ष
3. श्री चान्दमल पुत्र स्व. श्री मोहनलालजी माली आयु 73 वर्ष
4. श्री देवीलाल पुत्र स्व. श्री मोहनलालजी माली आयु 68 वर्ष
5. श्री लालचन्द पुत्र स्व. श्री मोहनलालजी माली आयु 64 वर्ष (मृतक)

5/1. श्रीमती सन्तोष आयु 60 वर्ष पत्नि स्व. श्री लालचन्द
5/2. श्री सुनील आयु 40 वर्ष पुत्र स्व. श्री लालचन्द
5/3. श्री अनिल आयु 35 वर्ष पुत्र स्व. श्री लालचन्द

6. श्री राजू पुत्र स्व. श्री मोहनलालजी माली आयु 52 वर्ष
7. श्री सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्री मोहनलालजी माली आयु 45 वर्ष

समस्त जाति माली निवासियान सांखला कॉलोनी, मसूदा रोड़ ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0)

8. श्रीमती प्रेमदेवीपत्नी श्री रामपालजी पुत्री स्व. श्री मोहनलालजी जाति माली आयु 61 वर्ष निवासनी ब्यावर जिला अजमेर (राज0)
9. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री प्रभुलालजी पुत्री स्व0 मोहनलालजी माली जाति माली आयु 55 वर्ष निवासनी ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
10. श्री लालचन्द पुत्र श्री चान्दमल माली आयु 30 वर्ष निवासी सांखला कॉलोनी मसूदा रोड़ ब्यावर जिला अजमेर (राज.) बहैसियत स्वयं एवं बहैसियत मुख्तयारआम वादीगण संख्या 1 लगायत 9

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर (राज0)
2. श्रीमान् तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर तहसील परिसर ब्यावर (राज0)

.....प्रतिवादीगण

3. श्रीमती संतोष पत्नी स्व0 श्री रामेश्वरजी माली आयु 47 वर्ष
4. श्रीमती हेमा पुत्री स्व0 श्री रामेश्वरजी माली आयु 24 वर्ष
5. श्रीमती गोरी पुत्री स्व. श्री रामेश्वरजी माली आयु 21 वर्ष
6. श्रीमती राजकुमारी पुत्री स्व. श्री रामेश्वरजी माली आयु 16 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता प्रतिवादिया संख्या 3 श्रीमती संतोष

क्रमांक 3 लगायत 6 निवासियान मसूदा रोड़ ब्यावर जिला अजमेर (राज0)

.....प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक : 22-05-2019

प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय अजमेर से प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त हुआ जिसमें इस न्यायालय के पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2014 को निरस्त कर वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद को पुनः गुणावगुण पर तनकीवार निर्णित करने के निर्देश दिए हैं। इस वाद पत्र में वादीगण ने सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम गढी थोरियान पटवार हल्का बलाड़ तहसील ब्यावर स्थित भूमि साबिक

.....लगातार

(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

खसरा नम्बर 164 नया खसरा नम्बर 224 रकबा 00–15–00 किस्म दांती विद्यमान चली आ रही है जिस वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा । वादीगण संख्या 1 लगायत 9 स्व0 श्री मोहनलालजी पुत्र श्री माधुजी के वारिसान है एवं वादी संख्या 10 स्व0 श्री मोहनलालजी का पौत्र है एवं उसे हर प्रकार से उक्त भूमि बाबत् सम्पूर्ण जानकारी है । इस कारण वादीगण संख्या 1 लगायत 9 द्वारा अपनी ओर से वादी संख्या 10 श्री लालचन्द को अपना मुख्तयार नियुक्त कर वादग्रस्त भूमि बाबत् समस्त प्रकार की कार्यवाही करने हेतु नियुक्त कर रखा है जिस बाबत् एक मुख्तयारनामा दिनांक 12.09.2013 भी वादी संख्या 10 के हक में निष्पादित करवाकर नोटेरी पब्लिक से अनुप्रमाणित करवाया है । वादग्रस्त भूमि वादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पति/पिता एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 के ससुर/दादा श्री मोहनलालजी माली पुत्र श्री माधुलालजी माली द्वारा बएवज प्रतिफल इसके पूर्व खातेदारान से खरीद की गई एवं बरोज खरीद से श्री मोहनलाल माली अपने जीवनकाल में तक काबिज हुए एवं नियमित तौर पर सरकार को लगान अदा करते रहे । एवं उनकी मृत्यु उपरान्त उनके सभी विधिक वारिसान काबिज काश्त चले आ रहे हैं । स्व. श्री मोहनलालजी के पुत्र श्री रामेश्वर जिसका कि स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान प्रफोर्मा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 हैं जो कि आवश्यक पक्षकार मुकदमा हैं एवं उनके हित भी वादीगण के समान है । वादीगण उक्त वादग्रस्त खरीदशुदा भूमि पर हक अधिकारों के तहत ही बरोज खरीद काबिज काश्त चले आ रहे हैं जिसके तहत ही राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2020–23 में उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत् मोहनलालजी पुत्र श्री माधुजी का नाम राजस्व कर्मियों द्वारा अंकन कर दिया गया तत्पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2024 से 2027 में भी मोहनलालजी का नाम दर्ज चला आता रहा । उक्त भूमि को काफी धन लगाकर उन्नत बनाया । राज्य सरकार के आदेशानुसार बन्दोबस्त (सेटलमेन्ट) अवधि के समय तैयार किये गये राजस्व अभिलेखों में उक्त वर्णित खसरा नम्बर 164 को तीन खसरों में विभक्त कर दिया गया एवं राजस्व कर्मियों द्वारा त्रुटिवश स्व. श्री मोहनलालजी की खरीदशुदा 15 बिस्वा भूमि को कम करके रकबा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी कर दिया गया एवं साथ ही स्व. मोहनलालजी की खातेदारी भूमि को सरकारी भूमि दर्शा दिया गया एवं भूमि की किस्म भी परिवर्तित कर दी गई जबकि वास्तविकता में आज भी मौके पर स्व0 मोहनलालजी पुत्र श्री माधुजी के वारिसान ही काबिज काश्त हैं । वादीगण संख्या 1 लगायत 9 एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को राजस्व अभिलेख में हो रखे गलत इन्द्राजात की अभी जानकारी हाल ही में राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने पर हुई एवं राजस्व कर्मियों से उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत् राजस्व अभिलेखों में हो रखी त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया किन्तु राजस्व कर्मियों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताते हुए सक्षमाधिकारी के यहां चाराजोही किये जाने एवं आदेश प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर ही राजस्व अभिलेख में संशोधन किये जाने की बात कहीं । इसलिए यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई । अतः वादीगण संख्या 1 लगायत 9 एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमायी जाकर पाबंद किया जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी कृषि भूमि वादीगण संख्या 1 लगायत 9 एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 की कब्जा काश्त एवं हक अधिकार व खातेदारी की भूमि है । इस कारण राजस्व अभिलेख में तदुनरूप नाम अंकित किया जावे । यह भी घोषित किया जावे कि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि बाबत् राजस्व अभिलेख में रकबा बाबत् हो रखे गलत अंकन 13 बिस्वा 1 बिस्वांसी को दुरूस्त कर 15 बिस्वा एवं किस्म दांती किया जावे । तदनुसार ही लगान की वसूली की कार्यवाही करने के साथ साथ वादीगण संख्या 1 लगायत 9 एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 को राजस्व पास बुक जारी करने के आदेश फरमावें एवं यह भी घोषित किया जावे कि वाद के लम्बित रहने के दौरान प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा यदि वादीगण संख्या 1 लगायत 9 एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के हितों के विपरीत किसी भी प्रकार का कोई राजस्व अभिलेख में परिवर्तन किया जाता है तो उसे दुरूस्त फरमाया जावे । अन्य अनुतोष तो न्यायालय उचित समझे दिलाया जाने का निवेदन किया ।

.....एवं..... लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

वाद पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई ।

प्रतिवादी संख्या 6 नाबालिग की ओर से नियुक्त अदालती वली श्री सलीम मौहम्मद ने अपने जवाबदावें में वादीगण के वाद पत्र में किये कथनों को स्वीकार करते हुए कथन किये कि साबिक खसरा नम्बर 164 नया खसरा नम्बर 224 की भूमि रकबा 15 बिस्वा पर स्व. श्री मोहनलाल जी माली के विधिक वारिसान का खातेार होने के कारण कब्जा काश्त शुरू से चला आ रहा है एवं आज भी काबिज़ है एवं सेटलमेंट अवधि के समय साबिक खसरा नम्बर 164 नया खसरा नम्बर 224 के रकबा 15 बिस्वा बाबत् राजस्व कर्मियों द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को संशोधित किया जाने का निवेदन किया ।

पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर ने अपने जवाब वाद पत्र में कथन किये कि कार्यालय के अभिलेखागार एवं रिपोर्ट पटवारी, मौका पर्चा अनुसार मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा नम्बर 164 रकबा 01–03–10 से बने हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 00–13–10, खसरा नम्बर 223 रकबा 00–02–00 व ख.नं. 225 रकबा 00–08–00 बने है । जमाबन्दी संवत् 2020 से 2023 के खसरा नम्बर 164 मि. रकबा 00–15–00 किस्म दांती खातेदार मोहन पुत्र माधू कौम माली साहिन देह दर्ज है एवं जमाबन्दी संवत् 2024 से 2027 के खसरा नम्बर 164 मि. रबा 00–15–00 किस्म दांती खातेदार मोहन पुत्र माधू कौम माली साकिन देह दर्ज है तथा खाता संख्या 1 में खसरा नम्बर 164 मि. रकबा 00–08–10 सिवायचक दर्ज है । इस प्रकार खसरा नम्बर 164 का कुल रकबा 01–03–10 होता है । वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 में साबिक खसरा नम्बर 164 से बने हाल नम्बर 224 रकबा 00–13–00 किस्म दांती सिवायचक खाता संख्या 01 में दर्ज किया गया है जबकि अन्तिम चौसाला जमाबन्दी संवत् 2024–2027 में अंकन का रिपीटीशन होना था । वर्किंग जमाबन्दी के बाद बनी जमाबन्दियों एवं हाल जमाबन्दी संवत् 2069–72 के सिवायचक खाता संख्या 1 में खसरा नम्बर 224 रकबा 00–13–10 किस्म दांती दर्ज चली आ रही है । रिपोर्ट पटवारी व मौका पर्चा अनुसार विवादित भूमि पर पुराने समय से ही मोहन वल्द माधू कौम माली के वारिसान का कब्जा चला आ रहा है तथा मौके पर पुराने समय से ही पत्थर पड़े हुए हैं ।

वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 2 तनकियात कायम की गई जो निम्न प्रकार है :–

1. आया वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 6 वादग्रस्त भूमि उनके कब्जे, हक अधिकार एवं खातेदरी भूमि की घोषणा कराने के अधिकारी है? तथा राजस्व अभिलेखों में गलत रकबा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी को दुरूस्त कर सही 15 बिस्वा किस्म दांती अंकन कराने के अधिकारी है ?
2. अनुतोष ?

शहादत वादीगण में वादीगण संख्या 9 व 10 ने अपने टाईप शुदा साक्ष्य के शपथ पत्र में कमोबेश वाद कथनों को ही दोहराया एवं स्वतंत्र गवाह श्री भागचन्द गहलोत पुत्र स्व0 श्री श्रीकिशनजी माली आयु 55 वर्ष निवासी मसूदा रोड़ ब्यावर ने उक्त कथनों की पुष्टी की ।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर ने प्रतिवादी संख्या 9 से जिरह की जिसमें प्रतिवादी संख्या 9 ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किए कि मेरे पिता का नाम मोहनलाल पुत्र माधु है, वादग्रस्त भूमि मेरे पिता के नाम है, खातेदारी भी उनके नाम दर्ज है जिसकी काश्त बारिश आने पर हम ही करते हैं। यह कहना गलत है कि उक्त भूमि मेरे पिता के नाम खातेदारी नहीं रही हो अजखुदकहा मेरे पिता के संवत् 2020–27 बतौर खातेदार दर्ज है।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 10 ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किए कि, यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि मेरे दादा मोहनलाल के नाम जमाबन्दी में अंकन नहीं है,

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि हमारे कब्जे काश्त मे ना हो। यह कहना सही है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में काश्त हम वादीगण ही कर रहे हैं। यह कहना सही है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों की गलत से मेरे दादा मोहनलाल का नाम हटा दिया । यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी हम मोहनलाल के वारिसान प्राप्त करनके अधिकारी नहीं है।

इसी प्रकार स्वतंत्र गवाह श्री भागीरथ गहलोत पुत्र श्री श्रीकिशन गहलोत जाति माली उम्र 57 वर्ष ने अपने प्रति परीक्षण (जिरह) में कथन किए कि, यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर मोहनलाल जी के वारिसान का कब्जा काश्त ना हो। यह कहना गलत है कि भूमि पड़त पड़ी हो बल्कि भूमि पर वादीगण काबिज काश्त हैं।

अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने बहस में कमोबेश वाद कथनों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमियों को वादीगण संख्या 1 लगायत 9 एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के हक आदेश प्रदान करते हुए राजस्व रेकार्ड में इन्द्राजात किये जाने का निवेदन किया तथा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2014 (1) आरजे 185 एचसी., आरआरटी 2013 (1) पेज 391, आरआरटी 2014–15 (सुप.) पेज 303, आरआरडी 14.9.2012 पेज 589 प्रस्तुत किए।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **प्रदर्श–1 ए** मुख्त्यार नामा आम की छाया प्रति है जिसमें वादीगण संख्या 1 से 9 ने प्रतिवादी संख्या 10 को मुख्त्यार आम नियुक्त किया है । **प्रदर्श–2ए** मोहन सांखला का मृत्यु प्रमाण की छाया प्रति है। **प्रदर्श–3ए** रमेश उर्फ रामेश्वर का मृत्यु प्रमाण की छाया प्रति है। **प्रदर्श–4** ग्राम गढी थोरियान की जमाबन्दी सन् फसली 1350 की प्रमाणित प्रति है जिसके खाता संख्या 8 में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 01–03–10 किस्म दांती अन्य खसरान् के साथ नागरमल वल्द वरदीदास वगैरह कोम महाजन साकिन नयानगर ताबेमर्जी अंकित है । उक्त प्रस्तुत दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि सिवायचक सरकारी भूमि रही है। **प्रदर्श–5** खसरा गिरदावरी संवत् 2020 की प्रमाणित प्रति है जिसमें ख.नं. 164 रकबा 01–03–10 किस्म दांती शामलात देह खाता संख्या 143 अंकित है जिसके कॉलम संख्या 40 के विवरण में वादीगण के पूर्व श्री मोहन पुत्र माधू के नाम का कोई अंकन नहीं किया हुआ है । **प्रदर्श–6** जमाबन्दी संवत् 2020–23 की प्रमाणित प्रति है जिसके खाता संख्या 274 में खसरा संख्या 108 व 152 के साथ खसरा नम्बर 164 मिन. रकबा 00–15–00 बिस्वा किस्म दांती मुद्दत 3 साल अंकित है। आगामी रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2024–27 **प्रदर्श–7** में खसरा नम्बर 164 मिन. रकबा 00–15–00 बिस्वा किस्म दांती मोहनलाल पुत्र माधु कौम माली साकिन देह अंकित हुआ है। **प्रदर्श–8** वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 की प्रमाणित प्रति है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 164 रकबा रकबा 01–03–10 के नये खसरा नम्बर 224 रकबा 00–13–10 किस्म दांती अंकित है एवं खसरा नम्बर 223/2 रकबा 00–02–00 किस्म दांती जिस पर माधो पुत्र रामस्वरूप अन्य व्यक्ति को गैर खातेदार अंकित किया हुआ है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 225 रकबा 00–09–00 बिस्वा किस्म दांती अंकित है । **प्रदर्श–9** ग्राम गढी थोरियान की जमाबन्दी संवत् 2069–72 है जिसके खाता संख्या 1 में हाल खसरा संख्या 224 रकबा 00–13–10 किस्म दांती सिवायचक खाता पहाड़िया एवं पर्वत दर्ज है। वादिया संख्या 9 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का शपथ पत्र जिसमें **प्रदर्श–10** प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा बताया है, परन्तु उक्त जवाबदावे पर प्रदर्श–10 अंकित नहीं किया गया है। **प्रदर्श–11** मिलान क्षेत्रफल है जिसमें साबिक खसरा संख्या 164 रकबा 01–03–10 जिसके हाल नए नम्बर 224 रकबा 00–13–10 ख.सं. 223 रकबा 00–02–00 तथा ख.सं. 225 रकबा 00–08–00 बने हैं।

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

.....लगातार

<u>तनकी संख्या 1</u> इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रहा है जिसमें उक्त समस्त दस्तावेजात् एवं बहस के विवेचन अनुसार ग्राम गढी थोरियान की खसरा गिरदावरी संवत् 2025–28 में साबिक खसरा संख्या 164 / 2 रकबा 00–15–00 किस्म दांती पर मोहनलाल माधू माली गैर खातेदार द्वारा काश्त किया जाना अंकित है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी 1350 फसली सन् के खाता संख्या 8 में नागरमल वल्द वदरीदास वगै0 कौम महाजन साकिन नयानगर के नाम अंकित है एवं इसी जमाबन्दी के खाना संख्या 4 में ताबेमर्जी शामलात देह अंकित है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर तत्समय महाजन अतिक्रमी रहे हैं, न कि मालिक व खातेदार तो उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान भी नहीं किया जा सकता। वादीगण ने अपने वाद पत्र में कथन किए कि वादग्रस्त भूमि श्री मोहनलालजी माली पुत्र श्री माधुलालजी माली द्वारा बएवज प्रतिफल इसके पूर्व खातेदारान से खरीद की गई एवं बरोज खरीद से श्री मोहनलाल माली अपने जीवनकाल में तक काबिज रहे एवं सरकार को लगान अदा करते रहे एवं उनकी मृत्यु उपरान्त उनके सभी विधिक वारिसान काबिज काश्त चले आ रहे हैं । परन्तु वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि खरीदे जाने संबंधी किसी प्रकार का कोई बेचाननामा की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। प्रदर्श–11 मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा संख्या 164 रकबा 01–03–10 के हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 00–13–10 ख.सं. 223 रकबा 00–02–00 तथा ख.सं. 225 रकबा 00–08–00 बने हैं जिसमें विवादित आराजी मात्र खसरा संख्या 224 रकबा 00–15–00 किस्म दांती है। प्रदर्श–8 वर्किंग जमाबन्दी से अंकित अन्य खसरा नम्बरान का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि उक्त सरकारी सिवायचक भूमि होने के कारण विधिक प्रक्रिया के तहत कई व्यक्तियों को गैर खातेदारियां अंकित की हुई है जिसमें वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 224 रकबा 00–13–10 पर किसी को गैर खातेदार अधिकार दिया जाना अंकित नहीं है जो पहाड़िया तथा पहाड़ दर्ज है। वादीगण व उनके पूर्वज द्वारा तत्समय कब्जे काश्त के आधार पर उक्त वादग्रस्त आराजियात पर गैर खातेदारी / खातेदारी पाने हेतु कोई कार्यवाही भी नहीं की है जिससे उनके तत्समय कब्जे बाबत् भी संदेह उत्पन्न होता है एवं तत्समय से अब तक लगातार कब्जे बाबत् भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त वादीगण ने हाल खसरा संख्या 224 का रकबा 00–13–10 किस्म दांती का रकबा 00–15–00 बिस्वा होना बताया है जो कि राजस्व रेकार्ड मिलान क्षेत्रफल अनुसार सही नहीं है। हाल खसरा संख्या 224 का रकबा 00–13–10 में किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाना न्यायोचित नहीं है। राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि सिवायचक पहाड़िया तथा पहाड़ अंकित है जिसे स्वर्गीय श्री मोहनलाल ने अपने जीवनकाल में एवं उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण द्वारा लगभग 20 वर्ष की अवधि में कभी भी इस बाबत् किसी राक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आयोजित कैम्पों में भी उक्त भूमि बाबत् अनुतोष हेतु किसी प्रकार की कोई चाराजोही भी नहीं की क्योंकि उक्त बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं विवेचन से वादीगण यह तनकी स्वयं के पक्ष में सिद्ध करने में कासिर रहे हैं।

ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । निर्णय आज दिनांक 22-05-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर

व अजलाम जसमीत सिंह संधू आई. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 04/2015 (पुराना–117/2013)

1. श्रीमती नैनी पत्नी स्व. श्री मोहनलालजी माली आयु 88 वर्ष
2. श्री सोहनलाल पुत्र स्व. श्री मोहनलालजी माली आयु 78 वर्ष
3. श्री चान्दमल पुत्र स्व. श्री मोहनलालजी माली आयु 73 वर्ष
4. श्री देवीलाल पुत्र स्व. श्री मोहनलालजी माली आयु 68 वर्ष
5. श्री लालचन्द पुत्र स्व. श्री मोहनलालजी माली आयु 64 वर्ष (मृतक)

5/1. श्रीमती सन्तोष आयु 60 वर्ष पत्नि स्व. श्री लालचन्द

5/2. श्री सुनील आयु 40 वर्ष पुत्र स्व. श्री लालचन्द

5/3. श्री अनिल आयु 35 वर्ष पुत्र स्व. श्री लालचन्द

6. श्री राजू पुत्र स्व. श्री मोहनलालजी माली आयु 52 वर्ष
7. श्री सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्री मोहनलालजी माली आयु 45 वर्ष

समस्त जाति माली निवासियान सांखला कॉलोनी, मसूदा रोड़ ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0)

8. श्रीमती प्रेमदेवीपत्नी श्री रामपालजी पुत्री स्व. श्री मोहनलालजी जाति माली आयु 61 वर्ष निवासनी ब्यावर जिला अजमेर (राज0)
9. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री प्रभुलालजी पुत्री स्व0 मोहनलालजी माली जाति माली आयु 55 वर्ष निवासनी ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
10. श्री लालचन्द पुत्र श्री चान्दमल माली आयु 30 वर्ष निवासी सांखला कॉलोनी मसूदा रोड़ ब्यावर जिला अजमेर (राज.) बहैसियत स्वयं एवं बहैसियत मुख्तयारआम

वादीगण संख्या 1 लगायत 9

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर (राज0)
2. श्रीमान् तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर तहसील परिसर ब्यावर (राज0)

.....प्रतिवादीगण

3. श्रीमती संतोष पत्नी स्व0 श्री रामेश्वरजी माली आयु 47 वर्ष
4. श्रीमती हेमा पुत्री स्व0 श्री रामेश्वरजी माली आयु 24 वर्ष
5. श्रीमती गोरी पुत्री स्व. श्री रामेश्वरजी माली आयु 21 वर्ष
6. श्रीमती राजकुमारी पुत्री स्व. श्री रामेश्वरजी माली आयु 16 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता प्रतिवादिया संख्या 3 श्रीमती संतोष

क्रमांक 3 लगायत 6 निवासियान मसूदा रोड़ ब्यावर जिला अजमेर (राज0)

.....प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.....की अदा करें। बहस्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22-05-2019 को जारी किया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

.....लगातार

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.02 11:19:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: